

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)
[Arbitration Case No.-178/2023]

Noorjahan Khatoun.....Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors.....Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	19.7.2025	आदेश Petitioner की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक-16.6.2025 के आलोक में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता/GP को सुना । Petitioner का कहना है कि Arbitration Case No-178/2023 में दिनांक-15.4.2025 को पारित अंतिम आदेश में अर्जित भूमि का विवरणी में रकवा-29.2 डी0 टाईप हो गया है । जबकि पंचाट के अनुसार अर्जित भूमि के प्रश्नगत खेसरा का रकवा 0.292 हेक्टेयर है । तथा यह कि वाद पत्र में अर्जित भूमि का रकवा-29.2 डी0 गलती से अंकित हो गया था । C.P.C. की धारा-152 के अनुसार- “Clerical or arithmetical mistakes in judgments, decrees or orders or errors arising therein from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the Court either of its own motion or on the application of any of the parties.” अतः उक्त आवेदन के संदर्भ में उभय पक्ष की सहमति से आदेश दिया जाता है कि Arbitration Case No-178/2023 में पारित अंतिम आदेश दिनांक-15.4.2025 में प्रश्नगत अर्जित जमीन मौजा-घाघा, खाता-01, खेसरा-1349 का रकवा 29.2 डी0 के बजाए भू-अर्जन कार्यालय, मधेपुरा के भू0अ0 वाद सं0-01/2015-16 के पंचाट के अनुसार 0.292 हेक्टेयर पढ़ा जाए । इस आदेश के साथ Petitioner के आवेदन का निस्तार किया जाता है । <u>Rye k.</u> <u>19/7/25.</u> आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा । -सह-Arbitrator लेखापित एवं शुद्धित । <u>Rye k.</u> <u>19/7/25.</u> आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा । -सह-Arbitrator	

